



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17112022-240354
CG-DL-E-17112022-240354

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 733]
No. 733]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 17, 2022/कार्तिक 26, 1944
NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 17, 2022/KARTIKA 26, 1944

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 नवम्बर, 2022

संख्या 57/2022-सीमा शुल्क

सा.का.नि. 822(अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची के किसी भी अध्याय के अंतर्गत आने वाले और नीचे दी गयी सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट मालो को उन पर उद्ग्रहणीय सम्पूर्ण सीमा शुल्क जो उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट है से छूट प्रदान करती है, यदि किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्ति या कार्यकाल के दौरान किसी बांड से आयात या क्रय की जाए।

सारणी

क्रम सं.	विवरण
(1)	(2)
1.	राज्य के राज्यपाल के उपयोग के लिए मोटर कार

2. यह अधिसूचना 18 नवंबर, 2022 को प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. 190354/17/2022-टी.आर.यू.]

विक्रम विजय वानेरे, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE**(Department of Revenue)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 17th November, 2022

No. 57/2022-Customs

G.S.R. 822(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do hereby exempts the goods, falling within any Chapter of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) and description specified in column (2) of the Table below, from the whole of the duty of customs leviable thereon as per the rates specified in the First Schedule to the said Customs Tariff Act, 1975, if imported or purchased out of bond by the Governor of any State on appointment or during their tenure in the office.

TABLE

S. No.	Description
(1)	(2)
1.	Motor car for the use of Governor of the State

2. This notification shall come into force with effect from the 18th day of November, 2022.

[F. No. 190354/17/2022-TRU]

VIKRAM VIJAY WANERE, Under Secy.